

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-

पटना, दिनांक

प्रेषक,

के० के० पाठक,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,  
लघु सिंचाई पमंडल.....।

विषय:-पंचायतों द्वारा नलकूपों का बिजली बिल भुगतान के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि पटवन का समय प्रारंभ हो चुका है और कई जिलों में दो पटवन हो चुका है। नलकूपों को पंचायतों द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है एवं पटवन की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर अब इन नलकूपों का बिजली बिल भी आना प्रारंभ हो गया है।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि बिजली बिल हर पंचायत को मासिक रूप से दिया जाय, न कि द्वि-मासिक अथवा त्रै-मासिक। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पंचायतों द्वारा विद्युत विपन्न समय से भुगतान हो। यदि मुखिया समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो संबंधित नलकूप का विद्युत संबंध विच्छेद किया जाय एवं उक्त मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाय।

बिजली बिल का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि बिजली का बिल की गणना ठीक-ठाक हुई है। मैंने पहले भी कई समीक्षात्मक बैठकों में यह कहा है कि प्रतिमाह 750 रू० से कम का बिजली बिल आता है तो उसे तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर दिया जाय। किन्तु यदि 750 रू० से प्रतिमाह से ज्यादा का बिल आता है तो संबंधित कनीय अभियंता स्थल जाँच करें। नलकूप के स्थल पर जाकर यह देखे कि बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, कहीं बिजली चोरी या कहीं अन्य प्रयोग में तो नहीं लिया जा रहा है, इसकी तसल्ली भी आवश्यक है।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि सभी बिजली बिलों का तुरंत भुगतान करें। 750 रू० प्रतिमाह से ज्यादा आनेवाले बिजली बिलों का भुगतान करने से पहले कनीय अभियंता संबंधित स्थल पर जाकर देखे कि बिजली बिल क्यों ज्यादा आया है। उसके बाद ही बिजली बिल का भुगतान करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(के० के० पाठक)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अभियंताओं को निदेशित करने की कृपा करें कि वह अपने पंचायतों को मासिक रूप से विद्युत विपत्र दिया करें। 750 रु0 मासिक से अधिक आने वाले विपत्र आने पर बिजली विभाग के अभियंता भी संबंधित नलकूप का स्थल जाँच करें।

ह0/-

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 326/प्र.सचि.प (के.)

पटना, दिनांक:-

16/9/19

प्रतिलिपि:-सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।